मांग की है। जिससे रोज की ट्राफिक समस्या का समाधान हो सके।

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

(गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र)

पहली मंजिल, एम्प्रायर आर्केड बिल्डिंग, ऑफ ऑल्टो पोरवरिम, बार्देज़, गोवा-403521

दूरभाष : 0124-2342851, 2342852, फैक्स : 0124-2342853

ई-मेल: secy-jerc@nic.in वेबसाइट: www.jercuts.gov.in

बिजली टैरिफ संशोधन के लिए जनसुनवाई हेतु नोटिस

संघ प्रदेश दमण दीव विद्युत विभाग ने FY2011-12 के लिए ARR के टू-अप, FY2011-12 के लिए टैरिफ की पुनरीक्षा एवं ज्वाइंट इलेक्ट्रिसिटी रेग्यूलेटरी कमीशन (गोवा राज्य एवं संघ प्रदेशों के लिए) के समक्ष इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003 के 61, 62 और 64 सेक्शन्स के तहत FY के लिए टैरिफ का संकल्प एवं ARR की पहुंचता। यह पिटीशन रिफरेंस 10/2012 के तहत अनुमोदित कर लिया गया है और कमीशन की वेबसाइट www.jercuts.gov.in पर उपलब्ध है। बिजली विभाग, संघ प्रदेश दमण एवं दीव ने भी दिसंबर 2012 को संघ प्रदेश दमण दीव के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रस्तावित ARR और FY 2013-14 के लिए टैरिफ को दर्शाते हुए एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की थी। इस संबंध में सुझाव/आपत्तियां/टिप्पणी सेक्रेटरी, JERC गोवा राज्य एवं संघ प्रदेश, दूसरा माला, HSIIDC ऑफिस कॉम्प्लेक्स, ऑद्योगिक एस्टेट कोम्प्लेक्स, सेक्टर 18 बिहार फेज-V, गुड़गांव-122016, हरियाणा को 1 फरवरी, 2013 तक मिल जाना चाहिए।

विद्युत निदेशन एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, विद्युत विभाग के पूर्वाह्न कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में निर्शुल्क देखी जा सकती है। पूर्वोक्त सार्वजनिक सूचना और विस्तृत पिटीशन विभाग की वेबसाइट www.dded.gov.in एवं कमीशन की वेबसाइट www.jercuts.gov.in पर भी उपलब्ध है।

कमीशन FY 2011-12 के टू-अप के लिए पिटीशन, FY 2011-13 के लिए ARR की पुनरीक्षा और ARR के पहुंचता एवं नीचे दिए अनुसार संघ प्रदेश दमण दीव के बिजली विभाग के FY:2013-14 के लिए टैरिफ के संकल्प पर जन सुनवाई करेगा। सभी हित धारकों और से आपेक्षित सुझाव प्रस्तुत कर चुके हैं, जन सुनवाई में भाग ले सकते हैं।

घरेलू संवर्ग के उपभोक्ताओं के लिए

दिनांक	समय	स्थान	विषय
08.02.2013	प्रातः 10.00 बजे से	स्वामी विवेकानंद ओकेशनोरियम शाल, कॉलेज, मोती दमण	FY 2011-12 के लिए ARR का टू-अप, FY 2012-13 के लिए ARR की समीक्षा एवं FY 2012-14 के लिए टैरिफ का संकल्प/घरेलिकार्ग उपभोक्ता का वर्गीकरण, 'वोल्टेज- वाइज कांट्रेक्ट लोड/मांग और नियम व शर्तें LT और HT आपूर्ति क्रॉस-सब्सिडी के लिए रोड मैप। CGRF के इंस्टीट्यूशन के कार्यप्रणाली का प्रभाव।
11.02.2013	प्रातः 10.00 बजे से	कम्युनिटी हॉल सिद्धि विनायक मंदिर के पास, अरोड़ा नगर कॉलोनी, सेलवास, दीव	

विस्तृत विवरण www.jercuts.gov.in पर उपलब्ध

FY 2013-14 के लिए ED- दमण एवं दीव के टैरिफ प्रस्ताव के मुख्य बिन्दु

किसान वर्ग की प्रस्तावना/मांग आधारित टैरिफ/ TDO टैरिफ/सोशल टैरिफ/समयबद्ध स्वत: छूट/अधिक भुगतान छूट/चेक वापसी चार्जेज।

टैरिफ स्ट्रक्चर का युक्तिकरण/वोल्टेज आधारित कांट्रेक्ट लोड/मांग/अस्थायी टैरिफ/अतिरिक्त पी/ PF सरचार्ज/PF प्रोत्साहन। बेरी से भुगतान का सरचार्ज।

प्रस्तावित ARR का विस्तृत विवरण

रुपए करोड़ में

	FY-2011-12 के लिए ARR का टू-अप		FY-2012-13 के लिए ARR की समीक्षा		FY-2012-13 के लिए ARR
	अनुमोदित	वास्तविक	अनुमोदित	प्रस्तावित	परवर्तित
ARR	774.92	847.78	792.10	858.10	972.17
नेशनल एवरेज टू की डेटरेंशन	0	0	0	0	43.87
[illegible]	(77.82)	(93.45)	(35.37)	(18.48)	106.87
ल सेल्स (MU)	1711	1771	1830	1867	2032
एवरेज AV कुल (RS/kwh)	4.36	4.61	4.93	4.47	4.78

प्रस्तावित टैरिफ का विस्तृत विवरण

कि ब्योरा	वर्तमान FY-2011-12		प्रस्तावित FY-2013-14	
	ऊर्जा प्रभार (Rs/kwh)	स्थ प्रभार	ऊर्जा प्रभार (Rs/kwh)	स्थ प्रभार
-D/घरेलू				
ो-50 यूनिट	1.10	0	1.10	0
-200 यूनिट	1.70	0	1.70	0
1-400 यूनिट	2.10	0	2.10	0
ग्र 401 यूनिट	2.45	0	2.45	0
	0.00	रु.20/कनेक्शन वह	0.00	रु.20/कनेक्शन वह
-C/औद्योगिक				
100 यूनिट	2.50	0	2.65	0
100 यूनिट	3.50	0	3.65	0
-D/कृषि				
No 10 HP	0.60	0	0.60	0
HP to 99 HP	0.90	0	0.90	0
P पंपिंग सेट				
ब 10 HP of ंटर लोड	3.55	0	3.70	0
ove 20 HP of ंटर लोड	3.65	Rs.25/HP	3.80	Rs.25/HP
PL/सार्वजनिक सिलमी				
लिक सिलमी	4.00	0	4.00	0
C सामान्य				
00 यूनिट्स	4.20	Rs.100/kVA	4.77	Rs.100/kVA
00 to 5 लाख यूनिट्स	4.35	Rs.100/kVA	4.92	Rs.100/kVA
र 5 लाख यूनिट्स	4.55	Rs.100/kVA	5.12	Rs.100/kVA
C पीएसयू				
00 यूनिट्स पर kVA	3.30	Rs.500/kVA	3.87	Rs.500/kVA
200 यूनिट्स पर kVA	4.00	Rs.550/kVA	4.57	Rs.500/kVA
500 यूनिट्स पर kVA	4.25	Rs.550/kVA	4.82	Rs.500/kVA

ट : रीटेल टैरिफ जैसे रेट, कैटेगरीज/सब कैटेगरीज, सामान्य नियम एवं शर्तें जन सुनवाई, रीक्लासीफिकेशन एवं डेक्लासीफिकेशन किसी भी क्लासेस के उपभोक्ताओं पर आधारित से नहीं है।

हस्ता/-
(आर.के. मलिक)
सचिव

विस्तृत फॉर्म-V, सुझाव/आपत्ति वेबसाइट (www.dnh.nic.in) पर भी उपलब्ध है।

सूचना और शुल्क दर याचिका वेबसाइट (www.dnh.nic.in) पर भी उपलब्ध है।

विस्तृत याचिका का किसी भी कार्य दिवस में कार्यकारी अभियंता, विद्युत निभाग, दादरा एवं नगर हवेली, 66 केवी सबस्टेशन, अमली रोड, सिलवासा-396 230 से निःशुल्क निरीक्षण किया जा सकता है। याचिका का सारांश कथित अधिकारी से प्राप्त किया जा सकता है।

आयोग निम्न समय सारणी के अनुसार संघ्यवार एवं शुल्क दर प्रस्ताव ई-डी-डीएनएच पर जन सुनवाई करेगा। पहले ही आपत्ति/सुझाव दर्ज कर चुके लोगों समेत सभी भागीदार कथित जन सुनवाई में भाग ले सकते हैं।

सभी वर्गों के उपभोक्ताओं के लिए

तिथि	स्थान	विषय-
7 फरवरी, 2013 को प्रातः 11.00 बजे से	प्रेजीडेंट हॉल, होटल यात्री निवास, पृथ्वीराज चौहान रोड (नरोली रोड), सिरवाया-396230	2013-14 का एआरआर और वित्त वर्ष 2011-12 का टू-अप एक समान उपभोक्ता वर्गीकरण, एसटी एवं एसटी आपूर्ति हेतु वोल्टेज के अनुसार कांट्रेक्ट लोड/डिमांड और नियम एवं शर्तें, क्रॉस-सब्सीडी के लिए रोड मैप। सीजीआरएफ के कार्य का प्रभावीपन।

*विवरण www.jercuts.gov.in पर उपलब्ध है।

[redacted]

ई-डी-दीव एवं नगर हवेली के लिए वित्त वर्ष 2013-14 हेतु शुल्क दर वृद्धि के मुख्य बिन्दु :

1. स्थायी शुल्क/मांग आधारित शुल्क दर/टीओडी शुल्क दर/सीमांत शुल्क दर/अतिरिक्त भुगतान पर छूट/अग्रिम भुगतान पर छूट/चेक वापसी शुल्क लेने का प्रावधान करना।
2. शुल्क, दर, वर्गीकरण/वोल्टेज के अनुसार ठेके पर लोड/मांग/अस्थायी शुल्क/ वर्ग अतिरिक्त मांग/पीपक अधिभार/पीपक प्रोत्साहन/विलंब भुगतान अधिभार को तर्कसंगत बनाना।
3. दादरा एवं नगर हवेली के संघ प्रदेश के विद्युत प्रशासन विभाग ने वित्त वर्ष 2013-14 के लिए खुदरा शुल्क दर में वृद्धि का प्रस्ताव दिया है क्योंकि संघ प्रदेश में जारी वर्तमान शुल्क दर वित्त वर्ष 2013-14 के प्रस्तावित एआरआर को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। वित्त वर्ष 2013-14 के लिए श्रेणीवार शुल्क दर का प्रस्ताव नीचे दिया गया है:

शुल्क संरचना	वर्तमान वित्त वर्ष 2012-13		प्रस्तावित वित्त वर्ष 2013-14	
	ऊर्जा शुल्क (रु./किलोवाट)	स्थायी शुल्क	ऊर्जा शुल्क (रु./किलोवाट)	स्थायी शुल्क
एलटी-डी/घरेलू				
पहला 50 यूनिट	1.10	0	1.10	0
51-200 यूनिट	1.70	0	1.70	0
201-400 यूनिट	2.20	0	2.20	0
401 यूनिट से ऊपर	2.50	0	2.50	0
एलआईपी/ए		रु.5/एचपी	0.00	रु.5/एचपी
एलटी-सी/व्यावसायिक				
पहला 100 यूनिट	2.25	0	2.35	0
100 यूनिट के ऊपर	3.00	0	3.10	0
एलटी-एजी/कृषि				
10 एचपी तक	0.65	0	0.65	0
10 एचपी से 99 एचपी तक	0.95	0	0.95	0
एलटीपी बीटिव पावर	0.00			
20 एचपी तक कनेक्टेड लोड	3.00	0	3.10	0
20 एचपी के ऊपर कनेक्टेड लोड	3.00	रु. 20/एचपी	3.10	रु.20/एचपी
एलटी-पीएल/पब्लिक				
प्रकाश				
सार्वजनिक प्रकाश	1.80	0	2.00	0
एचटी				
एचटीएसी सामान्य				
50000 यूनिट	3.70	रु.75/केवीए	4.00	रु100/केवीए
50000 से 5 लाख यूनिट	3.80	रु.75/केवीए	4.10	रु.100/केवीए
5 लाख यूनिट से ऊपर	3.85	रु.75/केवीए	4.15	रु.100/केवीए
एचटीएसी कोई				
पहले 300 यूनिट प्रति केवीए	2.70	रु.500/केवीए	2.95	रु.550/केवीए
अगले 200 यूनिट प्रति केवीए	3.40	रु.500/केवीए	3.65	रु.550/केवीए
500 यूनिट से अधिक प्रति केवीए	3.70	रु.500/केवीए	3.95	रु.550/केवीए

वित्त वर्ष 2012-13 और वित्त वर्ष 2013-14 के राजस्व में अंतर-ई-डी-डीएनएच द्वारा प्रस्तुत

राजस्व की वार्षिक आवश्यकता	वित्त वर्ष 2012-13	वित्त वर्ष 2013-14
	अनुमानित (रुपए रु.)	प्रस्तावित (करोड़ रु.)
कुल एआरआर	2,007.04	2,430.09
राजस्व @ वर्तमान शुल्क दर	1,921.82	2151.84
राजस्व अतिरिक्त बिजली की बिक्री से	102.67	87.44
कुल राजस्व	2,024.30	2,239.28
राजस्व (अंतर)/अतिरिक्त	17.26	(180.81)
अंतर दूर किया गया		
गत वर्ष से अग्रसारित अतिरिक्त	39.33	56.59
अतिरिक्त राजस्व @ प्रस्तावित शुल्क दर	0.00	124.22
कुल	39.33	180.81
निवल (अंतर)/अतिरिक्त	56.59	0.00

आपूर्ति की औसत लागत एवं प्राप्त राजस्व-ई-डी-डीएनएच द्वारा प्रस्तुत

औसत प्राप्ति एवं आपूर्ति की लागत	वित्त वर्ष 2012-13 मौजूदा दर (रु/यूनिट)	वित्त वर्ष 2013-14 मौजूदा दर (रु/यूनिट)
ई-डी-डीएनएच के लिए आपूर्ति की औसत लागत	4.05	4.42
औसत प्राप्ति	4.08	4.09
राजस्व में अंतर - वर्तमान शुल्क दर पर	0.03	(0.34)
निवल राजस्व (अंतर)/अतिरिक्त (शामिल है (अंतर)/गत वर्ष का अतिरिक्त)	0.11	(0.23)
अतिरिक्त राजस्व सालिका 42 में दर्ज प्रस्तावित शुल्क दर पर	-	0.23

नोट : दादरा एवं नगर हवेली की आम जनता/विद्युत विभाग से 01.02.2013 तक सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं क्योंकि उपभोक्ताओं की सभी/कुछ श्रेणियों में शुल्क दर में वृद्धि की जरूरत पड़ सकती है।

आयोग जन सुनवाई के विमर्श-विमर्श एवं विश्लेषण के आधार पर किसी श्रेणी के उपभोक्ता के लिए शुल्क दर अनुसूची अर्थात् वर्ग, श्रेणियों, उपश्रेणियों और शुल्क दर संबंध सामान्य नियमों और शर्तों को अलग-अलग रख सकता है।

हस्ता/-
(आर.के. मलिक)
सचिव

List of objectors who have given objections on petition no. 90/2012

1. Shri V P Gaur, Representative, Daman Industries Association
2. President, Diu Ice Factory Association
3. Shri Atul, representative of the Shrimp Association of Diu
4. Shri Umesh Ramabhai Bamania (present in the hearing at Diu)